कार्यकारी सार

सीमाशुल्क अनुपालन प्रतिवेदन में 139 पैराग्राफ सहित सात अध्यायों को शामिल करते हुए ₹ 1832.41 करोड़ का राजस्व निहितार्थ शामिल है। इनमें से, ₹ 39.67 करोड़ के राशि मूल्य वाले, 84 पैराग्राफ के संबंध में, विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओं नोटिस को जारी करके, कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेकर सुधारात्मक कार्यवाही करके ₹ 10.88 करोड़ की वसूली की।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

- **जीडीपी के अनुपालन के रूप में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.7 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।**

{पैराग्राफ 1.5}

- **वित्त वर्ष 13 के दौरान निर्यात में 11.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि आयात में 13.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।**

{पैराग्राफ 1.6}

- **विभाग द्वारा मार्च 2013 तक मांगे गए ₹ 11,835.91 करोड़ के सीमाशुल्क राजस्व की वित्त वर्ष 13 के अंत तक वसूली नहीं की गई, जिनमें से ₹ 2,468 करोड़ गैर-विवादित था।**

{पैराग्राफ 1.19}

अध्याय II: शुल्क छूट/माफी योजनाएं

शुल्क छूट योजनाओं का लाभ उठाकर निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले निर्यातकों/आयातकों से ₹ 139.06 करोड़ का राजस्व प्राप्य था। इस अध्याय में 'उन्नति उपायों' पर एक लम्बा पैराग्राफ (फोकस उत्पाद योजना में समाविष्ट बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना है) सम्मिलित है।

{पैराग्राफ 2.1 से 2.5.2}

अध्याय III: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

छूट अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 89.31 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.7}

अध्याय IV: सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

लेखापरीक्षा ने कुल ₹ 86.53 करोड़ के सीमाशुल्क राजस्व के गलत निर्धारण का पता लगाया। इस अध्याय में भी ''सीमाशुल्क की प्रतिदाय'' पर एक लम्बा पैराग्राफ है।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.10.2}

अध्याय V: माल का गलत वर्गीकरण

माले के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 20.70 करोड़ का शुल्क कम उद्ग्रहित हुआ।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.16}

अध्याय VI: नशीले पदार्थों का प्रबंधन (राजस्व विभाग)

- **मूल्य श्रंखला में उच्चतर नशीले उपक्षार तत्वों (एल्केलॉइड) के निर्माण, बिक्री और निर्यात में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान, दक्ष प्रबंधन ढांचे एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का उपयोग करते हुए, पोस्त की खेती से घातांकीय उच्चतर आर्थिक प्रतिफल एवं पारंपरिक परिक्षेत्र में पोस्ता दाना प्राप्ति में विदेशी मुद्रा बचाने की अपार संभावनाऐं हैं।**
- **किसानों एवं ड्रग उत्पादकों के लिए एक आनुपातिक प्रोत्साहन ढांचे के साथ अफीम के बीजों के स्वदेशी उत्पादन द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत और तैयार अफीम से बनी दर्द निवारक रसायन की बिक्री द्वारा राजस्व उत्पादन के दोहरे उद्देश्यों की लक्षित कोई नीति रूपरेखा दिखाई नहीं देती।**

{पैराग्राफ 6.1 से 6.15}

अध्याय VII: विषयगत लेखापरीक्षा:

क. जब्त एवं अधिग्रहित माल का निपटान

विभाग द्वारा जब्त एवं अधिग्रहित माल के निपटान की प्रणाली अभिलेखों के उचित अनुरक्षण, दस्तावेजों की अपर्याप्त गुणवत्ता, लक्ष्यों का गैर प्रक्षेपण, अधिनिर्णयन में विलम्ब के साथ-साथ निर्धारित दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के कारण माल के निपटान में विलम्ब, भण्डारण स्थान में अवरोध और राजकोष की हनि द्वारा चित्रित थी।

{पैराग्राफ 7.1 से 7.18}

ख. सामान्य आयात मालसूची एवं सामान्य निर्यात मालसूची

- **लेखापरीक्षा ने, आईजीएम प्राप्ति में, शिप फाइल के खुलाव मे, एलओसी के जारी होने में, ओटीआर के सामायिक प्राप्ति, शॉर्ट लैडिड माल के जुर्माने के गैर-उद्ग्रहण अथवा गैर-सूचित माल के निकास में एमसीडी की नियम-पुस्तिका के प्रावधानों के विचलन पर ध्यान दिया है।**
- **आईजीएम के नत्थीकरण एवं समापन की कार्यविधि कोडल प्रावधानों के अनुसार बारीकी से पालन नहीं किया जा रहा था, जो कि माल की उतराई/आवाजाही एवं निर्धारित कर/जुर्माना के संचयन पर नियंत्रण को कमजोर कर सकता है।**

{पैराग्राफ 7.19 से 7.23}

ग. सार्वजनिक एवं निजी अनुबद्ध भांडा गार

- **मालगोदामों की निगरानी कमज़ोर थी और अभिलेखों का रख-रखाव अनुचित था। विभागीय अधिकारियों एवं सीमाशुल्क लेखापरीक्षा दलों द्वारा निरीक्षण/लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र अपर्याप्त था। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 के अंतर्गत कार्यवाही के गैर-प्रारंभ भी सरकारी राजस्व की बड़ी राशि के अवरोध का कारण है, जोकि समय बीतने के साथ ही माल के वाणिज्यिक मूल्य की हानि एवं खराब होने से अनिवार्य रूप से घाटे में बदल जायेगा।**
- **अनुचित विस्तार एवं सुविधाओं के दुरूपयोग हेतु सामयिक एवं प्रभावकारी कार्यवाही की कमी से भारी राजस्व में अवरोध हुआ।**

{पैराग्राफ 7.24 से 7.30}